अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास डॉ. नरेश सोनी, R.A.S

वादी		प्रतिवादीगण
भूराराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी पैरवा तह0 बाली जिला पाली	बनाम	1. मंगलाराम पुत्र लकारामजी जाति मेघवाल नि0 डकातरा (जालोर) 2. हीराराम पुत्र नानजीरामजी जाति मेघवाल निवासी दासपा (जालोर) 3. कन्हैयालाल पुत्र जगदीश प्रसादजी गर्ग नि0 चेलावास जिला पाली 4. मसराजी पुत्र प्रखाजी मेघवाल नि0 दासपा (जालोर) 5.तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार — विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 64/2019

–:निर्णयः– दिनाक 08.12.2022

1.वादी वकील व दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। वादग्रस्त भूमि के संबंध में तीसरी बार तहसीलदार शिवगंज से विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर उपलब्ध करवाया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर भी वकील वादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर उभयपक्ष की बहस दिनांक 02.12.2022 को सुनी गई थी।

2. वकील वादी की बहस की, कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव वाई गिट्स एण्ड बाउण्डस सिद्धान्त के आधार पर तैयार नहीं किया गया है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर मलवा डला हुआ है और प्रस्ताव तैयार करते समय सर्वे किया गया (T) का नाप सही नहीं हुआ है। और वक्त वादग्रस्त भूमि के बटवाड़ा तैयार करते समय वादी पक्ष को पूर्व में सूचित नहीं किया गया है। जबकि वादी का वादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में कब्जा होने के बावजूद विपरीत दिशा उत्तर दिशा में कब्जा बताया गया है, जो कि गलत सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है भूमि के मूल्य के अनुसार बटवाड़ प्रस्ताव नहीं बनाया गया है, मौके की स्थिति वैल्यूशन सभी को बराबर होनी चाहिए लेकिन प्रस्ताव गलत आधार पर बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 07.02.2014 को स्थगन आदेश जारी होने के उपरांत भी प्रतिवादी मंगलाराम ने विद्युत कनेक्शन ले लिया और एक कमरा भी बना दिया है। मलवा हटाने की अपील माननीय एडीम कोर्ट सिरोही में विचाराधीन चल रही हैं। इस कारण बंटवाड़ नहीं हो सकता है जबकि वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ प्रस्ताव मौका स्थिति को नजर अंदाज करते हुए प्रतिवादी के कहे अनुसार तैयार कर भिजवाया गया है जो विधि विरूद्ध बंटवाड़ प्रस्ताव होने के कारण बंटवाड़ प्रस्ताव निरस्त कर, मलबा हटाने के बारे में दुबारा रिपोर्ट तलब करवाने का आदेश फरमाया जावें। इसके विपरित वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की बहस थी, कि वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा व दिशा उत्तर में वादी की भूमि व शेष भूमि 1/2 हिस्सा व दिशा दक्षिण प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की अवस्थित है। पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड बेचान पत्र के आधार पर क्रय की गई है और प्रतिवादी का वक्त खरीद व दिशा दक्षिण में कब्जा काश्त आ रहा है। मौके पर भूमि खाली है वादग्रस्त भूगि के संबंध में तीसरी बार बंटवाड़ प्रस्ताव तैयार होकर आया है और तीसरी बार भी बटवाड़ प्रस्ताव मौका स्थिति के अनुसार उपलब्ध करवाया गया है। लेकिन वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष को येन केन परेशान करने की नियत से हर बार आपत्ति पेश की जाती है। वादी पक्ष का केवलमात्र मंशा है, कि बंटवाड़ नहीं हो [illegible] जबकि हर बार प्राप्त बंटवाड़ प्रस्ताव में व दिशा उत्तर में वादी का व दिशा दक्षिण में [illegible] बताया है। लेकिन वादी पक्ष द्वारा केवल मात्र परेशान करने की नियत से [illegible] आधार पर आपत्ति पेश की जाती है जो कि हर बार वादी की आपत्ति गलत [illegible] हुई है। बंटवाड़ प्रस्ताव में दोनों पक्षकारों को बराबर बांट कर भूमि दी गई है। वादग्रस्त भूमि की DLC दर [illegible] एक समान है। वादग्रस्त भूमि मौके पर खाली है, किसी प्रकार का मलवा इत्यादि नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं हो रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.09 11:13:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस सिद्धान्त के आधार पर तैयार होकर आया हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं। बंटवाड़ प्रस्ताव तैयार करने के समय वादी मौके पर उपस्थित नोटिस पत्रावली संलग्न है। अतः वादी का आपत्ति प्रार्थना–पत्र निरस्त कर, तहसीलदार शिवगंज से प्राप्त बंटवाड़ प्रस्ताव का नजरी नक्शा अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावें। अपनी बहस के समर्थन में 2020(2)RRT पृष्ठ 1115 गोपाल बनाम कलावतीदेवी व 2020 (1)RRT पृष्ठ 117 मोबताराम बनाम निम्बाराम का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया।

3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन् किया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज व बंटवाड़ प्रस्ताव का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा न्यायिक दृष्टांत एवं न्यायिक मस्तिष्क से अवलोकन किया एवं वाक्यों का विधि के परिपेक्ष्य में विवेचन किया जिसमें पाया कि यह तो स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादी का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का हैं। और हिस्सों को लेकर पक्षकारान में कोई वाद विवाद नहीं है। दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से दिनांक 05.02.2020 को स्वीकार कर बंटवाड़ प्रस्ताव तहसीलदार, शिवगंज से मंगवाने के आदेश पारित हुए और तहसीलदार, शिवगंज ने आदेश की पालना में पत्रांक 541 दिनांक 24.02.2020 को बंटवाड़ प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया गया। जिस पर वकील वादी ने आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश इस आशय का किया कि बंटवाड़ प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वादी को सूचित नहीं किया गया और बंटवाड़ प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाने के पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 22.10.2020 को दुबारा बंटवाड़ प्रस्ताव मंगवाने के निर्देश प्रदान कियें लेकिन उक्त आदेश में वादी की उपस्थिति नहीं होने के साक्ष्य पर दुबारा बंटवाड़ मंगवाया गया था, न कि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्राप्त बंटवाड़ पर आपत्ति की गई थी और वादी वकील को भी प्रथम बंटवाड़ में आपत्ति वादी पक्षकार को सूचित नहीं करने को लेकर की गई थी। तहसीलदार, शिवगंज ने अपने कार्यालय के पत्रांक 3356 दिनांक 08.09.2021 को दुबारा बंटवाड प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस सिद्धान्त के आधार पर तैयार कर पेश किए। जिस पर भी वकील वादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना जाकर पुनः बंटवाड़ प्रस्ताव भिजवानें हेतु तहसीलदार, शिवगंज को निर्देशित किया और तहसीलदार, शिवगंज ने पक्षकारान को जरिये नोटिस तामील करते हुए तीसरी बार बंटवाड़ तैयार कर उपलब्ध करवाया गया। जिस पर भी वकील वादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में तीन बार बंटवाड़ प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया गया और तीनों ही बंटवाड़ प्रस्ताव में पक्षकारान का मौके पर कब्जा अनुसार ही बंटवाड़ प्रस्ताव आया है, जिसमें वादी का दिशा उत्तर दिशा व प्रतिवादी का दिशा दक्षिण में कब्जा पाया है, इससे स्पष्ट है कि वादी केवलमात्र गलत तथ्यों के आधार पर आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि वादी केवलमात्र प्रकरण को लम्बित रखना चाहता हैं क्योंकि तीनो ही बार बंटवाड़ प्रस्ताव मौके पर काबिज के अनुसार ही तैयार होकर प्राप्त हुआ है यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि वादी को बंटवाड़ प्रस्ताव तैयार करते समय सूचित नहीं किया गया। जबकि पत्रावली के संलग्न नोटिस अवलोकन करने से स्पष्ट है कि बंटवाड़ प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वादी को जरिये नोटिस सूचित किया था और बंटवाड़ फर्द में भी स्पष्ट किया है कि वादी मौके पर मौजूद था। पत्रावली के संलग्न बेचान पत्र प्रति अवलोकन करने से भी स्पष्ट है कि वादी द्वारा क्रय भूमि में कोई दिशा अथवा सेढ़ा पड़ौस का अंकन नहीं है। वादी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किया जा रहा है कि वादी का दिशा दक्षिण तरफ कब्जा है, यह मानने योग्य नहीं है क्योंकि यदि दक्षिण दिशा में कब्जा होता तो बंटवाड़ प्रस्ताव में आता जो कि नहीं हैं। तहसीलदार शिवगंज ने हर बार अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है, कि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार उत्तर दिशा में वादी का व दक्षिण दिशा में प्रतिवादी का कब्जा है और काबिज है। [illegible] वादी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत तीसरे बंटवाड प्रस्ताव में वादी व प्रतिवादीगण [illegible] खसरा नं0 785 की बंटवाड प्रस्ताव अनुसार किये गये हिस्से की [illegible] है। जहां तक मलबा हटवाने का प्रश्न है, यह एक अलग प्रक्रिया का हिस्सा है, उसके लिए पृथक कार्यवाही का प्रावधान है। वादग्रस्त भूमि का मूल विवाद बंटवाड़ को लेकर है और टिनेन्ट खातेदार अपने हिस्सेनुसार बंटवाड़ करवाने का हकदार होता है, जो प्रतिवादी अपनी हिस्से की भूमि को अलग करवाने का हकदार है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा उपलब्ध बंटवाड़ प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मौका कब्जा स्थिति अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सिद्धान्त पर तैयार कर उपलब्ध करवाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.09 11:13:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

जिसे न्यायालय हाजा किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं मानता है और बंटवाड़ प्रस्ताव माफिक दावा डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित मानता है। वकील प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण की प्रवृति पर चस्पा है।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी की ओर प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण आपत्ति प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है और तहसीलदार, शिवगंज के पंत्राक/राजस्व/पीडी/2022/3154 दिनाक 28.09.2022 के द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी **मौजा बडगांव** पटवार हल्का बडगांव तह0 शिवगंज के **खसरा नम्बर 785** रकबा **11–02 बीघा भूमि** का तीसरी बार उपलब्ध करवाया गया बंटवाड़ प्रस्ताव मय नजरी नक्शा स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड़ प्रस्ताव मय नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद का आदेश दिया जाता है। बंटवाड़ प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगें। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो।

आज दिनाक 08.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.09 11:13:13 IST
Reason: SelfAttested

(117)

मौजा - बडगांव
प.ग. - बडगांव
तहसील - शिवगंज
सिरोही

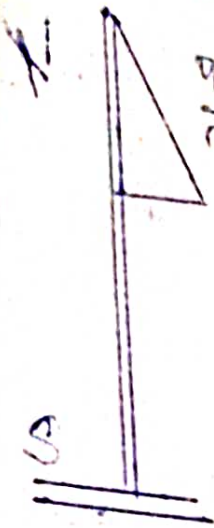

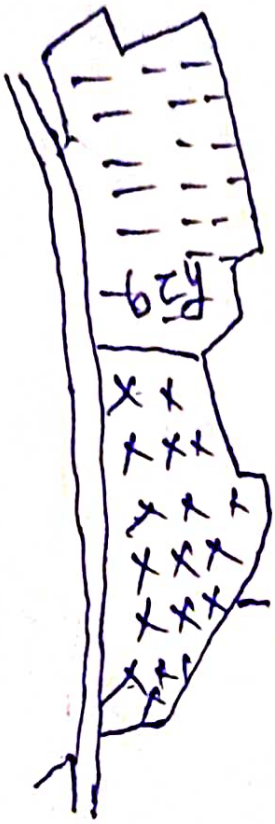

प्र.क्र. 64/2019
करसाराम v/s मंगलाराम
अ.धा. 53,188 RLRA

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

मंगलाराम (प्र)

कन्हैयालाल

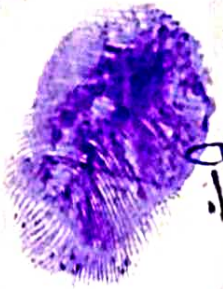

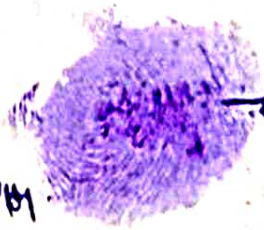

हिमाराम

नरसा

गवाह — दस्खत

नाम ओमत — भुताराम पुत्र हेमाराम

मगनाराम पुत्र लकाराम
वर्तमान

गवाह Sd

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.09 11:13:13 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार शिवगंज

(मदनसिंह मीणा)
पटवार मण्डल बडगांव
तह० शिवगंज, जि० सिरोही